मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-12

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 30, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 104 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 101 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्राम लखौरा से अहार तक डामरीकरण किये जाने,

(2) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की रायसेन के वार्ड क्रमांक 14 में विद्युत पोल न लगाये जाने,

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा संभाग में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के भेदभावपूर्ण रवैये से किसानों में आक्रोश होने,

(4) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर जिले में पटवारी चयन सूची से नाम हटाये जाने,

(5) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी के बहोरीबंद में प्राचीन जलाशय के अस्तित्व को खतरा होने,

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में पटवारियों की नियुक्ति की जाने,

(7) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की केन्द्रीय वन मंत्रालय द्वारा स्कूलों को पर्यावरण जागरूकता योजना की राशि प्रायव्हेट स्कूलों को दी जाने तथा

(8) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की ग्वालियर नगर स्थित विद्यालय भवनों का रख-रखाव न होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी गईं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष का (सिविल); तथा

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष का (वाणिज्यिक) पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षण की चारों सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने बैतूल जिले के मुलताई को पवित्र नगरी बनाने की घोषणा का पालन न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री तथा श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने वक्तव्य दिये।

(3) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य ने शिवपुरी नगर में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाने का कार्य न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य ने पन्ना जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु को बदले जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने रीवा जिले के सिरमौर तहसील के ग्राम-देवास के पंडितान टोला से मुख्य मार्ग तक सड़क बनाये जाने,

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इन्दौर नगर में पश्चिमी रिंगरोड बनाये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य ने पन्ना जिले के -

(क) पवई तहसील के ग्राम मोहन्द्रा की आम्हा नहर निर्माण कराये जाने,

(ख) पवई तहसील के ग्राम कृष्णगढ़ से पड़रिया व्हाया उरदानी कामता तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ग) पवई तहसील के ग्राम भितरी मुटमरू की माध्यमिक शाला को पद सहित हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(घ) पवई तहसील के ग्राम सांटा, कोनी, सुनवानी खुर्द गांवों में रोड बनाये जाने,

(ङ) शाहनगर तहसील के ग्राम पुरैना में शासकीय माध्यमिक शाला को पद सहित हाईस्कूल में उन्नयन करने,

(च) पवई तहसील के ग्राम मुड़वारी की शासकीय माध्यमिक शाला को पद सहित हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(छ) पवई तहसील के ग्राम बनौली की हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ज) पवई तहसील के ग्राम इमलिया में फांदा की पुलिया निर्माण किये जाने,

(झ) जनपद पंचायत शाहनगर के ग्राम सलइया में सिंचाई तालाब निर्माण कराये जाने,

(ञ) जनपद पंचायत शाहनगर के ग्राम रमगढ़ा की केन नदी पर घाट निर्माण किये जाने,

(ट) पवई तहसील के ग्राम हीरापुर में नहर के पास पुलिया निर्माण कराये जाने,

(ठ) जनपद पंचायत शाहनगर के ग्राम मेहगवां बरहों के खेराई उदगानी घाट पर स्टापडेम बनाये जाने, तथा

(ड) जनपद पंचायत शाहनगर के ग्राम जमुनहा में तालाब निर्माण कराये जाने,

सम्बन्धी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

6. वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ....(क्रमशः)

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए सोलह सौ सत्ताईस करोड़, बासठ लाख, सतानवे हजार रूपये
अनुदान संख्या -44	उच्च शिक्षा के लिए तीन सौ बाईस करोड़, चौवन लाख, सैंतालीस हजार रूपये
अनुदान संख्या -47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए एक सौ इकसठ करोड़, नवासी लाख, उन्तालीस हजार रूपये
अनुदान संख्या -70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए सत्रह लाख तैंतीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए चार सौ सतासी करोड़, नवासी लाख, सड़सठ हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -27	1, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
मांग संख्या -44	4, 5, 6, 8, 9, 10
मांग संख्या -47	1, 5, 6, 7, 8
मांग संख्या -70	3
मांग संख्या -77	3, 4

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(3) श्री पारस सकलेचा

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(5) श्री लक्ष्मण तिवारी
(6) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(7) श्री आरिफ अकील
(8) श्री अजय यादव
(9) श्री दीपक कैलाश जोशी
(10) श्री रामनिवास रावत
(11) श्री रामलखन सिंह
(12) श्रीमती ललिता यादव
(13) श्री के.पी. सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(14) श्रीमती मालिनी गौड़
(15) डॉ. निशिथ पटेल
(16) श्रीमती नीना वर्मा
(17) श्री श्रीकांत दुबे
(18) श्री शान्तिलाल धबाई
(19) श्री नरेन्द्र त्रिपाठी
(20) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(21) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(22) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(23) श्री आत्माराम पटेल
(24) श्री राधेश्याम पाटीदार

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री जगन्नाथ सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -33	आदिम जाति कल्याण के लिए पांच सौ तैंतालीस करोड़, अठानवे लाख, नौ हजार रूपये;
अनुदान संख्या -41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए बाईस सौ तीस करोड़, सड़सठ लाख, तिहत्तर हजार रूपये;
अनुदान संख्या -49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पैंतीस करोड़, बासठ लाख, तीन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए तेरह सौ पैंसठ करोड़, नवासी लाख, सतहत्तर हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -33	9, 10
मांग संख्या -41	4, 5, 6, 8
मांग संख्या -49	2, 4, 6, 7
मांग संख्या -64	1, 2, 4

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह
(2) श्री अन्तर सिंह आर्य
(3) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(4) श्री मोती कश्यप
(5) श्री मनीराम धाकड़
(6) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(7) श्री ताराचंद बावरिया
(8) श्रीमती सुलोचना रावत

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(9) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(10) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(11) श्रीमती उमादेवी खटीक
(12) श्री पांचीलाल मेढ़ा
(13) श्री जयसिंह मरावी
(14) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(15) श्री अजय सिंह
(16) श्री भगत सिंह नेताम
(17) श्री रामगरीब कोल
(18) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

श्री जगन्नाथ सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए चार सौ अट्ठाइस करोड़, तिहत्तर लाख, छियत्तर हजार रूपये;
अनुदान संख्या -14	पशुपालन के लिए एक सौ बानवे करोड़, साठ लाख, बहत्तर हजार रूपये;
अनुदान संख्या -16	मछलीपालन के लिए अठारह करोड़, नव्बे लाख, तिरासी हजार रूपये;
अनुदान संख्या -54	कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए उनतीस करोड़, अठानवे लाख, तैंतालीस हजार रूपये;
अनुदान संख्या -63	अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बारह करोड़, सत्तावन लाख, अठहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक सौ सत्तर करोड़, दस लाख, चालीस हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -13	1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17
मांग संख्या -14	3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
मांग संख्या -16	1, 2, 3
मांग संख्या -54	1, 2, 3, 4, 5
मांग संख्या -63	1, 2
मांग संख्या -66	1, 2

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री मोती कश्यप
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 5(4) पर चर्चा पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की गई।)

(4) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(5) श्री रत्नेश सॉलोमन
(6) श्री दीपक कैलाश जोशी
(7) श्री शिवनारायण मीणा
(8) श्री पारस सकलेचा
(9) राव देशराज सिंह यादव
(10) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(11) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(12) श्री शांतिलाल धबाई
(13) श्री मूल सिंह "दादा भाई"
(14) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(15) श्री रामलखन सिंह
(16) श्री आरिफ अकील
(17) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(18) श्री पांचीलाल मेड़ा
(19) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -17	सहकारिता के लिए साठ करोड़, चौवन लाख, चौवन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या -20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए चार सौ चार करोड़, अड़तालीस लाख, तिरासी हजार रूपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -17	1, 3, 4
मांग संख्या -20	1, 3, 4 , 10, 12, 13, 15

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री यादवेन्द्र सिंह
(5) श्रीमती नीना वर्मा
(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(7) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(8) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(9) श्री विश्वामित्र पाठक
(10) श्री ब्रजराज सिंह
(11) श्री शान्तिलाल धबाई

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(12) श्री रामलाल मालवीय
(13) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(14) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(15) श्री रामकिशोर कांवरे
(16) श्री आरिफ अकील
(17) श्री आत्माराम पटेल
(18) श्री नारायण प्रजापति
(19) श्रीमती सुलोचना रावत
(20) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(21) श्री राधेश्याम पाटीदार

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 11.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 31, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.